



यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०:- 69 / 2019

तारीखरजू:- 3/11/19

उनवान:- अमन बनाम रामधन वगै०

दावा वावत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
3/11/19	<p>वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 13.08.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
15.7.19	<p>वादी वकील की ओर से अधिन पत्र वावत पक्षकारत में राजीनामा हो जाने से मुकदमा खारिज करने घेश करने पर पत्रावली तलब की गई। वादी वकीलने Not Press कर मुकदमा खारिज करने का काम किया। इतः यह दावा Not Press में खारिज किया जाता है पत्रावली फेंकल शुमार होबन करे से काम होकर दारिबल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>

अमन
Not Press
3/11/19